न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 79/2017

अनवान : –

1. रेड़ा वल्द गनी जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. लिछमा देवी पत्नी दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विद्या देवी पत्नी मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. ओ.बी.सी. बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाखा गांधीबड़ी तहसील भादरा, हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : जोत व खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री दिवान सिंह : **वादी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक:** 12.5.18

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांधीबड़ी के चक 19एएमएस के खाता सं0 106/113 के मु0नं0 48 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18 व 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.2890 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है।

वाद भूमि में वादी रेड़ा वल्द गनी के नाम 0.872 है0 प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1.328 है0 तथा प्रतिवादिया सं0 2 के नाम 1.089 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि अच्छी एवं मंदी दोनों किस्म की है। पक्षकारान दावा के मध्य वादभूमि की किस्म माल लगान बंटाई आदि को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से जोत विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की भूमि का अलग से हक कायम करवाकर कब्जा प्राप्त करने व खाता

अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

तकसीम करवाने एवं अलग से माल, लगान कायम करवाने का अधिकारी है तथा वादी अपने विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता का अंकन करवाने का भी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि संयुक्त खाता की है जिसमें वादी के नाम 0.872 है0 प्रतिवादी सं0 1 के 1.328 है0 व प्रतिवादिया सं0 2 के 1.089 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा गांधीबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। विवादित कृषि भूमि बाबत पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा कर हल्का पटवारी द्वारा बनाया हुआ प्रमाणित रंगदार नक्शा पेश किया है। वादी के दावा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के कृषि भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. **लिछमादेवी पत्नि दलीप कुमार कौम कुम्हार सा0 भोजासर खातेदार राहिन ओबीसी शाखा गांधीबडी के पास :– चक 19 एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 4 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 5 की 0. 253 है0, 0.240 है0 बारानी 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 6 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 7 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 14/2 की 0.063 है0, 0.050 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता किला नं0 15 की 0. 253 है0 कुल 1.328 है0, 1.276 है0 बारानी, 0.052 है0 रास्ता
2. **विद्यादेवी पत्नि मोहरसिंह कौम जाट सा0 गांधीबड़ी खातेदार राहिन ओबीसी शाखा गांधीबड़ी के पास :– चक 19 एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 13 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 14/1 की 0.190 है0 बारानी, किला नं0

अधिकारी (राजस्व)

16/1 की 0.215 है0 बारानी किला नं0 17/1 की 0.215 है0, 0.204 है0 बारानी, 0.011 है0 रास्ता किला नं0 18/1 की 0.216 है0 बारानी कुल 1.089 है0, बारानी 1.078 है0, रास्ता 0.011 है0

3. **रेड़ा वल्द गनी कौम कुम्हार सा0 गांधीबड़ी खातेदार के पास** :– चक 19 **एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 16/2 की 0.038 है0 किला नं0 17/2 की 0.038 है0, 0.036 है0 बारानी, 0.002 है0 रास्ता, किला नं0 18/2 की 0.037 है0 किला नं0 23 की 0.253 है0 बारानी किला नं0 24 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता किला नं0 25 की 0.253 है0 बारानी कुल 0.872 है0, 0. 857 है0 बारानी, 0.015 है0 रास्ता

चक 19 एएमएस के मु0नं0 48 के किला नं0 5 में उतर की तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक राजीनामा उक्त स्वीकृत रास्ता की भूमि में से होकर 4 फुट की गहराई से नीचे प्रतिवादी सं0 1 लिछमा देवी अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए पाईप लाईन ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी। उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। बैंक रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 79/2017

अनवान : –

1. रेड़ा वल्द गनी जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. लिछमा देवी पत्नी दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विद्या देवी पत्नी मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. ओ.बी.सी. बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाखा गांधीबड़ी तहसील भादरा, हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवान सिंह एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के कृषि भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. **लिछमादेवी पत्नि दलीप कुमार कौम कुम्हार सा0 भोजासर खातेदार राहिन ओबीसी शाखा गांधीबडी के पास :– चक 19 एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 4 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 5 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 6 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 7 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता, किला नं0 14/2 की 0.063 है0, 0.050 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता किला नं0 15 की 0.253 है0 कुल 1.328 है0, 1.276 है0 बारानी, 0.052 है0 रास्ता
2. **विद्यादेवी पत्नि मोहरसिंह कौम जाट सा0 गांधीबड़ी खातेदार राहिन ओबीसी शाखा गांधीबड़ी के पास :– चक 19 एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 13 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 14/1 की 0.190 है0 बारानी, किला नं0 16/1 की 0.215 है0 बारानी किला नं0 17/1 की 0.215 है0, 0.204 है0 बारानी, 0.011 है0 रास्ता किला नं0 18/1 की 0.216 है0 बारानी कुल 1.089 है0, बारानी 1.078 है0, रास्ता 0.011 है0
3. **रेड़ा वल्द गनी कौम कुम्हार सा0 गांधीबड़ी खातेदार के पास :– चक 19 एएमएस** के मु0नं0 48 के किला नं0 16/2 की 0.038 है0 किला नं0 17/2 की 0.038 है0, 0.036 है0 बारानी, 0.002 है0 रास्ता, किला नं0 18/2 की 0.037 है0 किला नं0 23 की 0.253 है0 बारानी किला नं0 24 की 0.253 है0, 0.240 है0 बारानी, 0.013 है0 रास्ता किला नं0 25 की 0.253 है0 बारानी कुल 0.872 है0, 0.857 है0 बारानी, 0.015 है0 रास्ता

रेडा बनाम लिछमा देवी आदि पर्चा डिक्री

चक 19 एएमएस के मु0नं0 48 के किला नं0 5 में उतर की तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक राजीनामा उक्त स्वीकृत रास्ता की भूमि में से होकर 4 फुट की गहराई से नीचे प्रतिवादी सं0 1 लिछमा देवी अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए पाईप लाईन ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी। उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। बैंक रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ